झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

प्रस्तावना

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

2. झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम-1960 (2011 में यथा संशोधित) के धारा 27, धारा 27(क), धारा 27(कक), धारा 27(ख), धारा 27(ग) एवं धारा 31(क), 31(ख) एवं 31(ग) विलोपन।

झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम-1960 (2011 में यथा संशोधित) के संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

<u>प्रारंभिक</u>

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

(1) यह अधिनियम झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरंत प्रभावी होगा।

(3) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

2. झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम-1960 (2011 में यथा संशोधित) की धारा 27, धारा 27(क), धारा 27(कक), धारा 27(ख), धारा 27(ग) में फीस निर्धारण उप समिति द्वारा निर्णय लेने, क्रय-विक्रय का लेखा एवं बाजार फीस निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है एवं धारा 31(क), 31(ख), 31(ग) के द्वारा जांच चौकियों की स्थापना, लेखा पेश करने का आदेश देने और प्रवेश, निरीक्षण तथा अभिग्रहण करने की शक्ति तथा यान आदि रोकने की शक्तियां प्रदत्त है।

"धारा 27, धारा 27(क), धारा 27(कक), धारा 27(ख), धारा 27(ग) में फीस निर्धारण उप समिति द्वारा निर्णय लेने, क्रय-विक्रय का लेखा एवं बाजार फीस निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है एवं धारा 31(क), 31(ख) एवं 31(ग) के द्वारा जांच चौकियों की स्थापना, लेखा पेश करने का आदेश देने और प्रवेश, निरीक्षण तथा अभिग्रहण करने की शक्ति तथा यान आदि रोकने की शक्तियां विलोपित की जाती है।"

यह विधेयक झारखण्ड कृषि उपज बाज़ार (संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 27 अगस्त, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 27 अगस्त, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 31--50--8-9-2015 ।